

ः असाधारणः EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकारिक PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 308] No. 308] नई दिल्ली, सोमबार, जून 23, 1986/आषाढ़ 2, 1908 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 1986/ASADHA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस मंत्रालय

(ब्रायिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 जून, 1986

ग्रधिसूचना ।

मा.का.नि. 895(अ).--नोक भिवष्य निधि स्रविनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 ग्रारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केम्ब्रीय सरकार लोक भिवष्यि निधियोजना, 1968 में और स्थान करने के लिए एतद्दारा निम्नलिखित योजना बनाती है, सर्वात्:--

- 1. (1) इस योजना को लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1986 कहा जायेगा।
 - (2) यह योजना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लाग् होगी।
- 2. जोक भविष्य निधि योजना, 1968 (जिसका उल्लेख इसके पश्चात् उक्त योजना के रूप में किया जाएगा), के पैरा 3 में निस्तिविद्या संशोधन किए जाएंगें —
 - (क) उप-रेरा (1) में अक्षरों और अंकों में "40,000 रुपए" के स्थान पर अक्षरों और अंकों में "60,000 रूपए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - (ख) उप-पैरामाक (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, शर्यात :--
 - ''(2) उप-पैराग्नाफ(1) में विधित किसी बात के अवजूद, कोई व्यक्ति निस्तिविधित को ओर से निधि में अधिदेस्त कर सकता है :---
 - (क) श्रविभाजित हिन्दू परिवार, अथवा
- (ख) याय-कर ग्रधिनियम, 1961 (196 कि 43) की धारों 80 ग की उप-धारा (2) के खण्ड (छ) में यजा उल्लिखित व्यक्तियों की कोई एसोसिएनन अथवा अनग-अनग व्यक्तियों की कोई मंस्था, केंक्स किन हिन्दू परिवार अथवा व्यक्तियों की एसेसिएनन अथवा असम-अनग व्यक्तियों की संस्था की ग्राम में से, नैमी भी स्थिति हो, कम से कम 100 रुपए और कि से अधिक 60,000 रुपए प्रसिवर्ष ग्रभिस्त कर सकती है।"

- 3- उक्त योगना ने पैराप्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (1) में "धुपना श्रविद्याजित हिन्दू परिवार की और मै जिसका कि वह सबस्य है" गब्दों के पण्कात् ं भ्रयना त्यक्तियों की किसी एसोसिएसन ध्रमदा ध्रलम-भ्रतन व्यक्तियों की किसी संस्था की ओर से जैसा कि भ्राय-कर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 4?) की খাবে ৪৪ गकी उप-धारा (2) के वांपा (छ) में छरलेखा किया गया है मध्य, कोन्टक धाक्षर तथा मंत्र मोड़ दिए आरएंसे।
- 4. उक्त योजना के पैराप्राफ 9 के उप-पैराप्राफ (1) में; (क) "निकासी बर्य" मन्दी के बाद "क्रमच पूर्ववर्ती वर्ष के करल में, इनमें से को भी छैं। हा हीं भव्य जोत् दिए आएंगे।
 - (ख) परन्तुकों के स्थान पर निश्निकिक्ति परन्तुकों को प्रतिस्थापित कर विया जाएगा, प्रयात :---
 - ''परन्तु यह कि किसी एक वर्ष के दौरान एक से प्रक्षिक बार निकामी करने की धनुमति नहीं दी जाएगी।''
 - 5. उक्त योजना के पैराधाफ 12 के उप-पैराधाफ (6)(ii) में निम्नलिखिन परस्तुकों को जोड़ दिवा जाएगा, प्रवर्त, ---

''परस्तु यह कि विधि मान्य उत्तराधिकारयों को (i) क्षतिपृति पत्न, (ii) शपणाय, (iii) शपणपत पर दाक्षा न करने काले एक पत्न, (iv) कार्म 'क्र'' के अनुबन्ध में दिए गए प्रारूप के घनुसार स्टाम्प पेपर पर ग्रामियाला की मध्य का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ! लाख रुपए तक की शेष राक्षि अदा की जा सकसी **∦**1"

- ७. उक्त योजना के साथ संलग्न फार्म "ब" में ----(क) प्रविष्टि (ii) के लिए निम्मलिखिन प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गएगी, धर्बात:----
- "(ii) मैं पूतर्कारा कोषणा करता ह कि मैं किया तावासिक प्रयवा हिन्दु प्रविचालित परिवार प्रथवा व्यक्तियों की ऐसोमिएकन की और से रखे गर् जाते को छोड़कर कोई ग्रन्थ लोक भविष्य निधि खाता नहीं एख रहा है।"
- (छ) "प्रतिरिक्त समूला" प्रविध्टि के तीचे ष्टिप्पणी । के स्थान पर निम्नुसिखत टिप्पणी को प्रतिस्थापित किया जाएना, कवांद :---

ंटिप्पणी 1—व्यवि किसी हिन्दू अविभाजित परिवार धयवा व्यक्तियों की ऐसोसिएशव की और सेकोई बासाबोक्त गया हो, तो प्रभिक्षता के शाम के पीके "हि. इ. प." प्रमदा "एसोसिएकन" प्रक्षरों को जोड़ दिया जाएगा।"

- 7. उक्त बीजना के साथ संख्यन फार्म "छ" में,---
- (क) मद (iv) के बाद निम्नलिखित को जोड़ दिशा आएगा; ग्रंबीत:--
- "(८६) (V) क्षतिपृत्ति पदा।
- (तः (Vi) सपणपण।
- (a) (vii) शपथ पत्र में दादा न फरने बासे का पत
- (ख) श्रन्त में निम्तिनिश्चित पाद टिपाणी को ओड़ा जाएगा, प्रथात्:—

"यदि नामांकन नहीं किया गया हो, तो एक लाख रुपए के दावे तक, विधिमान्य उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएनां।"

उक्त गोमना के साथ मंत्रान कार्म छ के बाद निम्नानिकित अनुबन्धों को जोड़ विया जाएगा, अर्थात :---

पर्ति **छ था सन्बन्ध**ाः (भतिपृत्ति पत्र)

| सेवा में, | |
|-------------------|--|
| | शबत्वक/पोस्ट मास्टर, |
| | the state of the s |
| | |
| | · · · · · · · · · · · · (वैक/प्रधान काकवर का नाम) |
| | धापके बैंक में लोक भविष्य निश्चि खाता संख्या : : : : : : में ग्रावस्थित : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |
| ···· | के नाम में रखी हुई है, उसको मृत व्यक्ति(अमाफर्ता का भाम) की |
| सम्प्राण कालाः | के संबंध में जारी किए आने वाले प्रणासन पत्नों रूपका उससे संबंधित उत्तराधिकार प्रमाणपत प्रस्कुत किए किना श्रवका मध्यवा शूल्का नियंतक से इस हा प्रमाणपत्न प्रस्तुत किए बिना कि सम्पदा शुरूक की भदायनी कर दी गई है भयका ऐसी खबायणा कर दी जाएगी श्रवका सक्षवा शुरूक की कोई रासि |
| | . है, मुश्रको/हमें: (अंतिक प्राप्त के किया कि अर्था के अर्था के पर पर है जिस्से के वास किया किया के किया के अर - है, मुश्रको/हमें: (अंतिक किया किया किया के नाम) ग्रहमके |
| द्वारा भा | क्ष कर विष्णु जाने कश्यका ध्रवा किए जाने के संबंध में सहसति प्रकट किए जाने के शाधार पर, मैं/हमः ' ' ' ' ' ' ' ' |
| | |
| और ऋम | ······································ |
| (आमिन | ों के साम) एतद् दा रा अपने लिए और अपने उत्तराधिकारियों के लिए, कानूनी प्रतिनिधियों, मिल्मावको और प्रणासको के लिए संयुक्त अप से तथा अस्थ |
| क्रम् य | चन देते हैं और इस बात से सहमति प्रकट करते हैं कि भाषको और भाषक उत्तराधिकारियो सवा समनुदेशितियों को उन समस्त दावीं, मांगी, कार्य- |
| वाईयो, | हानियों, क्षतियों, प्रतारों तथा व्ययों के थिए श्रतिपूर्ति अदा की जाएगे जोकि आ पके द्वारा मुक्क ो/हमें उकत राशि को उपयुक्त गीत में अदा किए |

जाने **के संबंध** में सहमति दिए लाते/अर्घ किए जाने के आधार पर अथया उसके पश्यामस्वरूप आपके द्वारा उठाए आएं अ**यदा किए जाएं।**

में वी गई वाले हमारी जानकारी के अनुसार सत्य हैं और किसी सारवान तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

विनांकः

त्रसापन करता ह्/करत **ह**ाक **इस शप्रवपन**

1.

2]

3.

4.

| | | फार्म छ का धनुबन्ध III |
|----------------------------|---|--|
| | | मण्य के झाझार पर अन्दाशा पक्ष) |
| सेवा में | | ٠. |
| | प्र अभ्य क्ष/पोस्ट मास्टर, | |
| | | |
| | | |
| | (वैक/प्रधान काकावर का नाम) | |
| पति/पत (iii) | मै/हम का (i) कि निवासी हैं तथा (ii) | ा का पु ल/पुत्री तथा |
| वसियत | (i) कि श्री/श्रीमती प्राप्त कारिसीं के रूप में छोड़ गए हैं। | ं ांतरीय को वि सा |
| का भी के ना द्वारा प | (ii) कि हम प्रियं पिता/प्रपत्नी स्वर्गीय प्रियं धारिसों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों तथा समनुदेशितियों की आंद से एतव् द्वारा स्वयंजन करते हैं, जिस रुकम की प्रापको साखा में हमारो माता/पिता द्वारा वांछित खाने उपर्युक्त मृत पिता/माता की सम्पद्य प जारी कृष्ट (भैंक का नाम) साद्या वारी किया गया है, की रुकम की वन्छी होने के पश्चात् जमा कर दिया जाए और हमें इस बात पर भी धापित नहीं है वि में जमा राशि को उस पर समुत्यक स्थाज नहित, यदि ऐशा कोई क्याज उत्पन्न हुआ पिता श्रीमतीं/श्रीमान | ए की रकम के प्रति अपने दायें ाके नाम में ''' जिसे'' जंजपर्युक्त खाता सं |
| | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| | | _£#. |
| | | विसाधी |
| | नः हम उपर्युक्त स्रमिसाक्षी एसव्द्वारा विकानूर्यक सत्यापित करते हैं कि इस मपय पत्र में निक्की बातें हमारी आनकारी | क अनुसार गल्प हु। |
| षिनाष | तः । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | इट किए हैं । |
| दिसांब | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| | मत्यापित | |
| | . शपच-धाथुक्त | , |
| | | [एक.सं. 3(e) पॅर.भे(./se] |

[एक.सं. 3(6) पर.धीर./86] को. बालसुबमण्यम, सपर वजट श्रविकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Edonomic Affairs)
New Delhi, the 23rd June, 1986.

NOTIFICATION

G.S.R. 895 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby makes the following Scheme further to aniend the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely:—

- 1. (1) This Scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 1986.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In paragraph 3 of the Public Provident Fund Schome, 1968 (hereinafter referred to as the said Scheme), -
- (a) In sub-paragraph (1), for the letters and figures "Rs. 40,000/-", the letters and figures "Rs. 60,000/-", shall be substituted;

- (b) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:
- "(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), an individual may also subscribe to the Fund on behalf of;—
 - (a) a Hindu Undivided Family, or
 - (b) an association of persons or a body of individuals as referred to in clause (g) of sub-section (2) of section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), out of the income of the Hindu Undivided Famliy or association of persons or body of individuals, as the case may be, any amount not less than Rs. 100 and no t more than Rs. 60,000 in a year".
- 3. In sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the said Scheme, after the words "or on behalf of a Hindu Undivided Family of which he is a member", the words, brackets, letters and figures "or on behalf of an association of persons or a body or individuals as reserved to in clause (g) of sub-section (2) of section 80C of the Income-tex Act, 1961 (43 of 1961)" shall be inserted.
 - 4. In sub-paragraph (1) of paragraph 9 of the said Scheme,—
 - (a) after the words "year of withdrawal", the words "or at the end of the preceding year, whichever is le wer" shall be inserted;
 - (b) for the provisos, the following proviso shall be substituted, namely:
 - "Provided that not more than one withdrawal shall be permissible during any one year".
- 5. In sub-paragraph (6) (ii) of paragraph 12 of the said Scheme, the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided that the balance upto Rs. 1 lakh may be paid to the legal heirs on production of (i) a letter of indemnity, (ii) an affidavit, (iii) a letter of disclaimer on affidavit, and (iv) a certificate of death of subscriber, on stamped papers, in the forms as in Annexure to Form G."
 - 6. In Form A appended to the said Scheme,—
 - (a) for entry (ii), the following entry shall be substituted, namely:—
 - "(ii) I hereby declare that I am not maintaining any other Public Provident Fund Account, except an account on behalf of a minor or a Hindu Undivided Family or a association of persons.";
 - (b) for Note 1 below tha entry "Additional Specimen", the following Note shall be substituted, namely:
 - "Note 1—Where an account is opened on behalf of a Hindu Undivided Family or an association of persons, the letters "HUF" or "Association", as the case may be, shall be added after the name of the subscriber."
 - 7. In Form G appended to the said Scheme,—
 - (a) after item (iv), the following shall be inserted, namely:-
 - "@ (v) Letter of indemnity.
 - @ (vi) Affidavit.
 - @ (vii) Letter of disclaimer on a
 - (b) the following footnote shall be inserted at 1
 - "@ To be produced by legal heirs, in the absence of nominations, for claims upto Rs. 1 lakh."
 - 8. After Form G appended to the said Scheme, the following Annexures shall be inserted, namely: —

ANNEXURE I TO FORM G

(Letter of indemnity)

| To | | | | |
|---|--------|--|--|--|
| The Manager/Post Master | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (Name of the bank/Head Post Office). | | | | |
| In consideration of your paying or agreeing to pay me/us————(Names of L | | | | |
| heirs) the sum of Rs.——standing in Public Provident Fund Account No.—— | | | | |
| with your Bank in the name of without production of letters of administration or a s | | | | |
| From the Controller of Estate Duty to the effect that estate duty has been paid or will be paid or none is due, I/We and we (sureties) do hereby for ourselve | | | | |
| and our hoirs, legal representatives, executors and administrators jointly and severally undertake and agree to | | | | |
| demnify you and your successors and assigns against all claims, demands, proceedings, lesses, damages, cha | | | | |
| and expenses which may be raised against or incurred by you by reason or in consequence of your liaving ag | Te'C (| | | |
| to pay/or paying me/us the sum as aforesaid. | | | | |
| In witness whereof we have hereunto set our hands aton this | _ | | | |
| day of in the presence of witnesses. | | | | |
| Signed and delivered by the above-named heir/heirs of the deceased | | | | |
| Signed and delivered by the above-named sureties: | | | | |
| i. | | | | |
| 2. | | | | |
| Names & Addresses of witnesses: | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| ~·· | | | | |
| . Attested | | | | |
| Notary Public | | | | |

| - , , | 1,72 | · |
|-------|---|------------------------|
| | ar daga a ang a ang ang ang ang ang ang ang | |
| | | ADMENTINE II to Porm C |

| • | (Affid2vic) |
|--|---|
| To 😅 | , · · · |
| The Manager/Post Master, | |
| | |
| | |
| _ a speciment of the sp | |
| (Name of the | Bank/Hend Post Office) |
| 1/We. | husband of/wife of late aged |
| | aged sons/daughters of the said late—residents declare and solemnly affirm as under:— |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | y heir(s) of the deceased——————————————————————————————————— |
| (2) That the decrased to the sale | did not leave any will and therefore 1/We am/are the only successor(s) deceased. |
| | 1. |
| • | 2. |
| | 3. |
| | 4. |
| | DEPONENTS |
| VERIFICATION: i/We, the above (name of place) that the contents of t cealed. | named deponents do hereby verify on solemn affirmation in- |
| Dated: | |
| | 1. |
| | 2. |
| | 3. |
| | 4. |
| | DEPONENTS |

ANNEXURE III to Form G

Hattar of disclaimer on Affidavit

| | | (Latter of discisliner of Amogyn) |
|---|--|---|
| To Manager/Post | Maxter, | |
| | | |
| | ************************************** | |
| | (Name of the B | <u></u> |
| I/We, (i)——— | husband of/ | wife of |
| as tollows: | | son of/daughter of do hereby solemnly affirm and declare |
| (1) That Sh./S | Smt. | died intestate on his only heirs. |
| (2) That we- executors, which ma name of the | representatives and assigns do be credited to the account so he estate of the said | late father/mother for ourselves and on behalf of our heirs, hereby relinquish our claims to the balance of Rs.———————————————————————————————————— |
| issued by- in the abo | ove-referred account No. | (name of bank) ——and we have no objection whatscover is the balance——together with interest, if any accrued thereon—being ather Mrs./Mr. |
| 1. 2. 3. | • | , |
| | | EPONENTS |
| | We the above-named deponen true to our knowledge. | ts do hereby verify on solemn affirmation that the contents of |
| Dated | | |
| I identify the d | teponent who is personally kno | own to me and who has signed in my presence. |
| Dated | * 5 | , |
| ATTESTED | | |
| Oath Commissioner | • | |
| | | [F.No. 3(6) PD/86] |
| | | V. BALASUBRAMANIAN, Additional Budget Officer |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |